



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5049

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 202 वर्ष 2026

सतीश एवं अन्यआवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता : संजीव कुमार गुप्ता

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री संजीव कुमार गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण की ओर से, तथा श्री अरुण कुमार मिश्रा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का भी परिशीलन किया गया।
3. आवेदकगण, मुकदमा अपराध संख्या 290 वर्ष 2025, धारा 103(1) बीएनएस, थाना - गुन्नौर, जिला - सम्भल, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहते हैं।
4. अभियोजन की कथा के अनुसार, आवेदकगण तथा एक सह-अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दिनांक 28.08.2025 को प्रातः 08:00 बजे सूचक के पिता की हत्या की गई बताई गई है।
5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदकगण को वर्तमान प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है। प्राथमिकी में आरोपित अपराध से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राथमिकी दो दिन से अधिक विलम्ब से दर्ज की गई है तथा उक्त विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक संख्या 2 को एक धर्मवीर के साथ उक्त घटना में चोटें भी आई हैं तथा उक्त चोट का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्राथमिकी आवेदक की माँ द्वारा बीएनएस की धारा 175(3) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दर्ज कराई गई, अतः आवेदकगण जमानत के अधिकारी हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि तात्कालिक प्रकरण में एक प्रति-संस्करण है, अतः इस समय यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कौन सा पक्ष आक्रामक था। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक 4.9.2025 से जेल में निरुद्ध हैं तथा वे विचारण में सहयोग करने को तत्पर हैं। यदि आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर कड़ा विरोध किया कि सह-अभियुक्त धर्मवीर मुख्य अभियुक्त है क्योंकि उसी ने मृतक पर फरसे से हमला किया था।
9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये निवेदन, प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब तथा यह भी कि तात्कालिक प्रकरण में एक प्रति-संस्करण है, इस तथ्य के साथ कि फरसे से हमले की विशिष्ट भूमिका सह-अभियुक्त धर्मवीर को सौंपी गई है, के आधार पर विचार करने पर, मुझे यह प्रकरण आवेदकगण को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य प्रतीत होता है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
10. आवेदकगण - **सतीश और राजपाल**, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त हैं, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये।
 - i) आवेदकगण विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
 - ii) आवेदकगण अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेंगे/उन्हें भयभीत नहीं करेंगे।
 - iii) आवेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होंगे।
11. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

जनवरी 8, 2026

सिद्धान्त

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।